



2026 : AHC : 54036

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7085 वर्ष 2026

कमल सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम बहादुर सिंह, सुरेश सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता (लिबर्टी) के साथ वर्तमान याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता (लिबर्टी) देते हुए खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी फोटो-प्रति अभिलेख (रिकॉर्ड) में रखने के बाद, वापस कर दी जाए।

16 मार्च, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।